

**कार्यालय प्रमुख अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल**

दूरभाष :-0755-2551341 ई-मेल :-pdpiu.general@mp.gov.in

एफ-6-2/2015/एन.ए.बी.एल/सा./भोपाल/प्र.अभि.(भवन)/पार्ट-1 0030 दिनांक 12/06/2025
प्रति,

मैसर्स स्टेलर टेस्ट हाउस,
जी-68, सेक्टर-63,
नोएडा (उ.प्र.)।

विषय:- मैसर्स स्टेलर टेस्ट हाउस, नोएडा उ.प्र. को एन.ए.बी.एल अथवा आई.एस.ओ. /
आई.ई.सी. 17025 के तहत एक्रीडेशन सूची में सूचीबद्ध करने के संबंध में।

- संदर्भ-1.** आपका आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2024
2. इस कार्यालय का पत्र क्र० एफ-6-2/ 2015/एन.ए.बी.एल/सा./प्र.अभि.
(भ.)/पार्ट-1/1259 भोपाल दिनांक 13.11.2024
3. कार्यपालन यंत्री,(भवन) लोनिवि, मुरैना का प्रतिवेदन दिनांक 08.05.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 01 से प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में एवं संदर्भित पत्र क्रं 02 से की गई पृच्छा अनुसार कार्यपालन यंत्री (भवन) लोनिवि, मुरैना द्वारा उक्त प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया। कार्यपालन यंत्री (भवन) लोनिवि, मुरैना द्वारा संदर्भित पत्र क्र 03 से प्रेषित परीक्षण प्रतिवेदन एवं एन.ए.बी.एल द्वारा जारी सर्टीफिकेट क्रमांक TC-5529 दिनांक 13.06.2024 वैधता दिनांक 12.06.2026 के आधार पर निम्न निर्देश के तहत लो.नि.वि. में स्कोप ऑफ एक्रीडेशन में उल्लेखित परीक्षणों के अंतर्गत भवन निर्माण सामग्री के परीक्षण के लिए मैसर्स स्टेलर टेस्ट हाउस, नोएडा (उ.प्र.) को दिनांक 12.06.2026 तक निम्न निर्देशों के अधीन सूचीबद्ध किया जाता है।

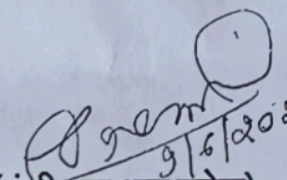
1. शासन के परिपत्र क्रं एफ 10-03/2016/1-10 भोपाल दिनांक 20.02.2018 के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन की मंशा है कि निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान ही प्रयुक्त सामग्री के अधिकांश परीक्षण स्थल पर ही विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदार/ठेकेदार प्रतिनिधी की उपस्थिती में कराए जाएं चूँकि वर्तमान में मुख्य तकनीकी परीक्षक(सतर्कता) संगठन कार्यालय में चलित प्रयोगशाला स्थापित नहीं होने से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण एवं जाँच के दौरान सामग्री का परीक्षण एनएबीएल अथवा आई.एस.ओ./आई.ई.सी 17025 के तहत आपकी फर्म मैसर्स स्टेलर टेस्ट हाउस, नोएडा (उ.प्र.) प्रयोगशालाओं से कराया जाये। सामग्री परीक्षण पर होने वाले व्यय का समायोजन ठेकेदार के देयको से किया जावेगा।

2. मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क. एफ 58/5/ 2012/19/यो भोपाल दिनांक 08.01.2018 से जारी निर्देशानुसार भवन परिक्षेत्र के अधिनस्थ चल रहे मूल निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं संपादित किये गये कार्यों का परीक्षण केवल लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला से ही कराये जाये अधीक्षण यंत्री या उनके वरिष्ठ अधिकारी आई.एस.ओ/आई.ई.सी 17025 के अनुसार कार्य करने वाली संस्था यथा एनएबीएल या अन्य कोई ऐकीडेटिंग संस्था जो की प्रयोगशालाओ को आई.एस.ओ/आई.ई.सी 17025 के अनुसार एकीडीट करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोगशाला के परीक्षण कार्य संलग्न शर्तानुसार ही संपादित किया जाए। शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रयोगशाला को तत्काल सूची से पृथक किया जाकर निलंबन अथवा ब्लेक लिस्ट की कार्यवाही संबंधित मुख्य अभियंता (भवन) द्वारा की जावेगी। निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील प्रमुख अभियंता (भवन) लोनिवि, भोपाल में 30 दिवस की समय सीमा में की जा सकेगी।

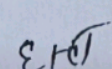
सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

1. एन.ए.बी.एल सर्टिफिकेट एकीडिएशन।
2. एन.ए.बी.एल स्कोप ऑफ एकीडिएशन।
3. परीक्षण हेतु शर्तें दिनांक 22.03.2018
3. परीक्षण शुल्क की सूची।


 (इंजी.एस.आर.बघेल)
 प्रमुख अभियंता (भवन)
 लोक निर्माण विभाग, भोपाल म.प्र.

एफ-6-2/2015/एन.ए.बी.एल/सा./भोपाल/प्र.अभि.(भवन)/पार्ट-1 दिनांक /06/2025
 प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लो.नि.वि. मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक(सतर्कता) संगठन मध्यप्रदेश अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य अभियंता (भवन) लोनिवि, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, (भवन) लोनिवि, की ओर प्रेषित।
5. आई.टी. सेल, कार्यालय परियोजना संचालक, लो.नि.वि. भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


 प्रमुख अभियंता (भवन)
 लोक निर्माण विभाग, भोपाल म.प्र.